फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW – 226001

सं0: 1051 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012– 50–मा0सं0प्र0–02/2007 दिनांक : 17 मई, 2012

समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर– I/ II),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,

विषय :– उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली– 1998 के संशोधन में निर्गत की गई उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 ज्येष्ठता विनियमावली–2008 के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ज्येष्ठता व अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक निगमादेश सं0: 1048–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, दिनांक 17 मई, 2012 एवं सं0: 1049–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, दिनांक 17 मई, 2012 के निर्गमन के फलस्वरूप **नियम–8 'क'** के अन्तर्गत परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्रदान किये जाने के प्राविधान निष्प्रभावी हो गये हैं।

अतः उक्त के अनुक्रम में आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ **विनियम–8(क)** के आधार पर परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करते हुए निर्गत की गईं हो उनमें से परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए उन्हें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के सुसंगत सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1995 से संशोधित/परिवर्धित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)

सं0: 1051 –(1)–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(5) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

क्रमशः...............2

28

(7) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ

(8) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(11) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी (वे0 एवं ले0)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।

(12) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)